

राजस्थान सरकार
निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर

जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर

(Phone & Fax-2222403/2223239 Web-www.lsgraj.org Email ID-dlbrajasthan@gmail.com)

क्रमांक एफ 56()पीए/सीई/सीएलबी/IRGV(U)/2022-23/129 79-131 39

दिनांक 03.09.2022

आयुक्त/अधिशायी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद्/पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषय:-इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना बाबत संपादित किये जाने वाले कार्यों के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 02.09.2022 को राज्य सरकार के स्तर पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की विस्तृत समीक्षा के दौरान पाया गया कि चयनित किये गये कार्यों में साफ-सफाई, नालियों की सफाई, सड़क किनारे वृक्षारोपण इत्यादि कार्यों को प्राथमिकता दी गई है, जबकि पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार ठोस (Tangible) प्रकृति से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता दी जानी है, जिन्हें योजना की उपलब्धियों के रूप में Showcase किया जा सके।

चूंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा संपूर्ण राज्य में दिनांक 09.09.2022 को इस योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। अतः योजना में निम्न ठोस (Tangible) प्रकृति के कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने बाबत निर्देश दिये जाते हैं:-


1. तालाब, बावडी, जोहड, टांके आदि की मिट्टी निकालने, सफाई व सुधार (Improvement) सम्बन्धी कार्य।
 2. निकाय क्षेत्र में पार्कों का विकास एवं सौन्दर्यीकरण।
 3. शमशानों/कब्रिस्तानों में मूलभूत सुविधाओं सहित विकास कार्य।
 4. निकाय क्षेत्र के सामुदायिक शौचालयों एवं मूत्रालयों की मरम्मत एवं साफ-सफाई का कार्य।
 5. निकाय क्षेत्र की मुख्य सड़कों के डिवाइडर की मरम्मत, पेंट कराया जाना एवं फुटपाथ की मरम्मत का कार्य।
 6. पार्कों, डिवाइडरों पर वृक्षारोपण, उद्यानिकी के कार्य।
- चूंकि वर्तमान कार्य योजना कुछ समय पूर्व तैयार की गई थी एवं मानसून लगभग समाप्ति की ओर है। अतः संभव है कि इस कार्य योजना में कुछ ऐसे कार्य हो जिनकी वर्तमान में आवश्यकता नहीं हो, उनकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निरस्त की जाकर, नवीन कार्य जो ठोस (Tangible) प्रकृति के हो उन्हें कार्य योजना में शामिल करते हुए नये सिरों से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जावे।
 - अभी तक स्वीकृत कार्य जिनकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो चुकी उन कार्यों का पुनः विश्लेषण करें एवं यदि आवश्यक हो तो कार्यों को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की सीमा में संशोधित करते हुए नये सिरों से तकनीकी स्वीकृति जारी की जावे।
 - विभाग द्वारा सभी निकायों को अनुमत कार्यों से संबंधित तकनीकों के नमूने प्रेषित किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त भी यदि कोई अन्य ठोस (Tangible) प्रकृति का कार्य करवाया जाना हो तो उसका तकनीकी पृथक् से तैयार कर श्रम एवं सामग्री की गणना करते हुए, तकनीकी स्वीकृति जारी किये जा सकेगी।
 - योजनान्तर्गत संपादित किये जाने वाले कार्यों में श्रम एवं सामग्री का अनुपात 75:25 में संघारित किया जाना है, परंतु विशेष परिस्थिति के कार्यों हेतु श्रम एवं सामग्री का अनुपात 25:75 तक रखे जाने का प्रावधान किया गया है। अतः ठोस (Tangible) प्रकृति के कार्यों का समावेश करते हुए कार्य योजना में किये गये कुल वास्तविक व्यय में यथासंभव श्रम एवं सामग्री का अनुपात लगभग 75:25 रखा जावे।

- पूर्व में सभी निकायों को निर्देश दिये गये थे कि टोस (Tangible) प्रकृति के कार्यों के संपादन हेतु आवश्यक सामग्री यथा सीमेंट, बजरी, पेंट, रोड़ी, इंटरलॉकिंग टाईल इत्यादि बाबत दर सविदा (Rate Contract) कर लिया जाये ताकि आवश्यकतानुसार सामग्री कय की जा सके। यदि किन्हीं निकायों में सविदा (Rate Contract) की प्रकिया नहीं अपनाई गई है तो योजना के शुभारंभ के मद्देनजर नियमानुसार कोटेशन के जरिये आवश्यकतानुसार सामग्री कय किये जाने की व्यवस्था करें।
- मनरेगा की तर्ज पर श्रमिक उपकरण यथा फावडा, परात, गेती, कैंची इत्यादि श्रमिक द्वारा स्वयं ही लाये जाने का प्रावधान है, परंतु योजना के शुभारंभ के दिन यदि आवश्यक हो तो श्रमिकों को उपकरण निकाय स्तर पर उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
- मेट के नियोजन के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 09.09.2022 से पूर्व मेट की सूची बनाई जाकर शुभारंभ हेतु कार्यवार मेट का चयन सुनिश्चित किया जाये।
- निकायों के मुख्य प्रवेश मार्गों पर सड़क के दोनों ओर तथा विभागीय स्तर पर कराये जाने वाले इंटरलॉकिंग टाईल के कार्यों में सामग्री मद निकाय द्वारा वहन करते हुए श्रम मद irgy-U योजनान्तर्गत वहन किया जा सकता है।
- दिनांक 09.09.2022 को शुभारंभ किये जाने वाले कार्य से संबंधित सभी जानकारी कार्य स्थल पर पलैक्स, बैनर अथवा सूचना पट्ट के माध्यम से प्रदर्शित किया जाना सुनिश्चित करें।
- योजना में श्रमिकों की कार्य अवधि प्रातः 08:00 बजे से सायं 05:00 तक (अपराह्न 01:00 बजे से 02:00 तक भोजन अवकाश) निर्धारित की गई है। परंतु कार्य की प्रकृति के मद्देनजर यदि आवश्यक हो तो कार्य समय परिवर्तित किया जा सकेगा, लेकिन कार्यावधि 08:00 घंटे सुनिश्चित की जावे। इस बाबत संबंधित निकाय द्वारा संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक से अनुमति प्राप्त की जानी होगी।
- चूंकि योजनान्तर्गत संपादित किये जाने वाले कार्यों का वित्तीय एवं सामाजिक अंकेक्षण भी होगा। प्रत्येक कार्य की कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, कार्य संपादन के दौरान एवं कार्य समाप्ति पश्चात् के फोटोग्राफ पोर्टल पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करावें। पोर्टल में इसका प्रावधान है।
- प्रचार-प्रसार से संबंधित समस्त गतिविधियां स्थानीय निकाय विभाग की वेबसाइट <https://urban.rajasthan.gov.in/lsg> एवं IRGY Urban ULBs ग्रुप पर डलवाया जाना सुनिश्चित करें।
- पोर्टल से संबंधित किसी भी समस्या के निराकरण हेतु श्रीमती, श्वेता सक्सेना, संयुक्त निदेशक-8107109511, श्री अशोक मीणा, एसीपी-8870087087 एवं श्री ललित मोहन तिवारी, एपी-7976738940 से संपर्क किया जा सकता है।
अतः उपरोक्तानुसार समस्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

(हर्देश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव
दिनांक 03.09.2022

क्रमांक:एफ.56 (क)0सीई/डीएलबी/IRGY(U)/2022-23/1200-41
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त जिला कलेक्टर (जिला परियोजना समन्वयक), राजस्थान को भेजकर निवेदन है कि दिनांक 09.09.2022 को योजना के प्रस्तावित शुभारंभ के परिप्रेक्ष्य में समस्त व्यवस्थाएँ एवं उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।
3. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान को भेजकर लेख है कि दिनांक 09.09.2022 को योजना के प्रस्तावित शुभारंभ के परिप्रेक्ष्य में समस्त व्यवस्थाएँ एवं उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।
4. सुरक्षित पत्रावली।


मुख्य अभियंता